

बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन: पश्चिम बंगाल

प्रलिमिस के लिये:

बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन, टाइगर कॉरडिनेटर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के अन्य संरक्षित क्षेत्र


मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), बाघ संरक्षण परियोजनाएँ, बाघ संरक्षण से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन में 23 वर्षों में पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया।

- ऐतिहासिक रूप से बाघ बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन की दक्षणितम सीमा सहित पूरे रजिस्ट्रेशन में पाए जाते हैं। हालाँकि वित्तमान बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन में बाघों का घनत्तेव कम है।



प्रमुख बातें:

• बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन:

- बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले के अलीपुरद्वार उप-मंडल में स्थिति है। इसे वर्ष 1983 में भारत के 15वें टाइगर रजिस्ट्रेशन के रूप में स्थापित किया गया था।

- इसे जनवरी 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन की उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। सचिला पहाड़ी शृंखला बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी किनारे पर स्थिति है तथा पूर्वी सीमा असम राज्य को संपर्श करती है।
- टाइगर रजिस्ट्रेशन में बहने वाली मुख्य नदियाँ- संकोश, रैदक, जयंती, चुरनिया, तुरतुरी, फशखवा, दीमा और नोनानी हैं।

• टाइगर कॉरडिनेटर:

- बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन की कॉरडिनेट कनेक्टिविटी की सीमाएँ उत्तर में भूटान के जंगलों को, पूर्व में कोचुगाँव के जंगलों और मानस टाइगर

रजिस्ट्रेशन तथा पश्चामि में जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान को स्पर्श करती है। महत्वपूर्ण कॉरडिओर लकि नमिनलखित हैं:

- **बुक्सा-टीटी (टोरसा के माध्यम से):** यह बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन के रंगमती रजिस्ट्रेशन के टटी रजिस्ट्रेशन फॉरेस्ट से जोड़ता है।
- **बुक्सा-टटी (बीच और भरनाबाड़ी टी एस्टेट के माध्यम से):** यह भरनाबाड़ी टी एस्टेट और 'बीच टी एस्टेट' से गुजरते हुए 'दलसगिपारा टी एस्टेट' के दक्षणि में स्थित बुक्सा-टाइगर रजिस्ट्रेशन के भरनाबाड़ी रजिस्ट्रेशन फॉरेस्ट और टटी रजिस्ट्रेशन फॉरेस्ट को जोड़ता है।
- **नमिती-चलिपटा (बुक्सा-चलिपटा):** यह बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन की नमिती रेंज और चलिपटा रजिस्ट्रेशन के बीच हाथरियों की आवाजाही को सुगम बनाता है, जिससे बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन और जलदापारा वन्यजीव अभ्यारण्य (पश्चामि बंगाल) के बीच हाथरियों की आवाजाही सुलभ हो सके।
- **संकोश (संकोश) में बुक्सा-रप्ती:** यह गलयारा एक सन्नहित जंगल है जो पश्चामि बंगाल के बुक्सा टाइगर रजिस्ट्रेशन को कोचुगाँव वन प्रभाग, असम के रापु राजिस्ट्रेशन फॉरेस्ट से जोड़ता है।
- उल्लंघिति गलयारे उत्तर-पूर्व और ब्रह्मपुत्र घाटी बाघ परदृश्य का हस्सा हैं, जो वभिन्न संरक्षित क्षेत्रों जैसे बुक्सा **मानस टाइगर रजिस्ट्रेशन** (असम), भूटान में फप्सू वन्यजीव अभ्यारण्य और जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की उपस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

• वनस्पति:

- मोटे तौर पर रजिस्ट्रेशन के वनों को 'आरद्दर उष्णकट्बिंधीय वन' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

• जंतु वर्ग:

- रजिस्ट्रेशन में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं- इंडियन टाइगरसि टाइगरसि, लेपर्ड (पैथेरा पार्डस), क्लाउडेड लेपर्ड (नयोफेलसि नेबुलोसा), हॉग बेजर (आरकटोनकिस कोलारसि), जंगल कैट (फेलसि चौस) आदि

• पश्चामि बंगाल में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान
- **सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान**
- नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान
- सगिलीला राष्ट्रीय उद्यान
- जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान

बाघ

• बाघ संरक्षण की स्थिति:

- **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची- I
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) रेड लिस्ट:** लुप्तप्राय
- **वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुपतप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेशन (CITES):** प्रशिष्ट- I

• भारत की बाघ संरक्षण स्थिति:

- भारत वैश्वक स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर है।
- भारत के 18 राज्यों में कुल 51 बाघ अभ्यारण्य हैं और **वर्ष 2018 की अंतिम बाघ गणना** में इनकी आबादी में वृद्धि देखी गई।
- भारत ने बाघ संरक्षण पर **सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा** (St. Petersburg Declaration) से चार वर्ष पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया।
- भारत की बाघ संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है।

• भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएँ:

- **प्रोजेक्ट टाइगर 1973:** यह वर्ष 1973 में शुरू की गई प्रयावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय (MoEFCC) की **एककेंद्र प्रायोजनिति योजना** है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है।
 - हाल ही में **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पगिला वन्यजीव

- अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को भारत में **53वें टाइगर रजिस्ट्र** के रूप में नामित किया है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो 2006 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत गठित है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/buxa-tiger-reserve-west-bengal>

